न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1825-तीन/2003 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-4-1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा - प्रकरण कमांक 584/1994-95 अपील

1- बंशमणि प्रसाद (मृत) पुत्र रामसनेही वारिस
(अ) इन्द्रमणि प्रसाद (ब) तीरथ प्रसाद
(स) रामयशप्रसाद पुत्रगण स्व.बंशमणि प्रसाद
निवासीगण ग्राम पन्नी तहसील मउगंज
2- भुवनेश्वर प्रसाद (मृत) रामसेनही वारिस
(अ) मुस.सुखरजुआ पत्नि स्व. भुवनेश्वर प्रसाद
(ब) चिलात (स) रोहिणीप्रसाद (द) रमागोविन्द
पुत्रगण भुवनेश्वरन प्रसाद (क) श्रीमती शोभा पत्नि राजभान
(ख) श्रीमती लल्ली पत्नि मदनमोहल पुत्रियां स्व.भुवनेश्वर प्रसाद
सभी ग्राम पन्नी तहसील मउगंज जिला रीवा

विरूद्ध

अम्बिका प्रसाद पुत्र केदार राम ब्राहमण
ग्राम डगडौआ तहसील मउगंज जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 584/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पन्नी स्थित भूमि सर्वे कमांक 8 रकबा 1.24, 122X1 रकबा 0त्र.73, 471 रकबा 0.71, 566/2 रकबा 0.78, 572 रकबा 0.18, 573 रकबा 0.19, 574 रकबा 0.22, 565/2 रकबा 0.28 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर बसीयतनामा के आधार पर लगातार काविज चले आने से राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसीलदार मउगंज ने प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-8-92 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण कमांक 85 अ-6-अ/1992-93 में आदेश दिनांक 20-3-1993 पारित किया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-8-92 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर प्रकरण कमांक 32 अ-6-अ/1993-93 में पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा आदेश दिनांक 16-8-1994 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत हुइ। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण कमांक 2 अ-6-अ/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-95 से अपील स्वीकार की तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्र0क0 584/ 1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 31-3-95 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पन्नी स्थित भूमि सर्वे कमांक 8 रकबा 1.24,

122X1 रकबा 0त्र.73, 471 रकबा 0.71, 566/2 रकबा 0.78, 572 रकबा 0.18, 573 रकबा 0.19, 574 रकबा 0.22, 565/2 रकबा 0.28 पर बसीयतनामा के आधार पर लगातार काविज चले आने से राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज करने की मांग की है अर्थात आवेदक ने खसरे में नवीन प्रविष्टि दर्ज करने की मांग की है। विचार योग्य है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर किसी अन्य पक्षकार की भूमि पर कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

धारा 115 - **खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण** - यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात् संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निदेश देगा।

धारा 116 - **खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में प्रविष्टि के बारे में विवाद** - यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में की, किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हों, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

तहसीलदार मउगंज ने अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक कब्जा करने का आदेश दिया है जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-3-1995 में उल्लेख है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत कब्जे की नवीन प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती, अपितु संहिता की धारा 114 के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेख में यदि त्रुटिवश अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, इन धाराओं के अधीन त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है। (शांतिदेवी विरूद्ध म.प्र.राज्य 2011(III) M.P.J.R. 370 (DB) से अनुसरित) संहिता की धारा 116 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये प्रावधान है कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर पीड़ित पक्षकार को आवेदन देना होगा। मध्य प्रदेश भू

राजस्व संहिता 1959 में आधिपत्य की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है आधिपत्य की प्रविष्टि के संबंध में प्रावधान न होने से नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। (रामचरण विरूद्ध चैनावाई 1998 रा.नि. 211 से अनुसरित) स्पष्ट है कि तहसीलदार मउगंज का आदेश दिनांक 15-8-92, आदेश दिनांक 16-8-94 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 23-4-1996 दोषपूर्ण है जिन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र0क0 584/ 1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज द्वारा प्रकरण कमांक 2 अ-6-अ/ 1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-95 यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर